न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 259 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 417

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.जैसाराम पुत्र नेनाराम

2.नाथाराम पुत्र नेनाराम

3.निम्बाराम पुत्र नेनाराम

4.बाबूराम पुत्र नेनाराम

5.हीरो पत्नी नेनाराम

जाति जाट निवासी नींबली

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1.गैरो पत्नी जेठाराम

2.गोदूराम पुत्र प्रभुराम

3.धुड़ाराम पुत्र प्रभुराम

4.रामाराम पुत्र प्रभुराम

5.वीरो पत्नी प्रभुराम

6.चौथाराम पुत्र सिमरथाराम

7.पूनमाराम पुत्र सिमरथाराम

8.भगाराम पुत्र सिमरथाराम

जाति जाट निवासी नींबली

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

9.रेखाराम पुत्र सिमरथाराम के वारिसान

9/1 तुलसाराम पुत्र रेखाराम

9/2 कालूराम पुत्र रेखाराम

9/3अन्नाराम पुत्र रेखाराम

9/4 इमीयो पुत्री रेखाराम

जाति जाट निवासी नींबली

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

10.लुम्बाराम पुत्र सिमरथाराम के वारिसान

10/1 जसीयोदेवी पत्नी लुम्बाराम

10/2 डालूराम पुत्र लुम्बाराम

10/3 मेघाराम पुत्र लुम्बाराम

10/4 मागी पुत्री लुम्बाराम

10/5 [illegible] पुत्री लुम्बाराम

10/6 चनणी पुत्री लुम्बाराम

जाति जाट निवासी नींबली

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

11.सुखाराम पुत्र सिमरथाराम जाति जाट निवासी नींबली तहसील पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

12.आसुराम पुत्र लुम्बाराम
13.पेमाराम पुत्र लुम्बाराम
14.भैराराम पुत्र लुम्बाराम जाति मेघवाल
15.रावताराम के वारिसान
15/1 ललिता पत्नी रावताराम
15/2 दूदाराम पुत्र रावताराम नाबालिग जरीये कुदरती वली माता ललिता पत्नी रावताराम जाति मेघवाल निवासी नींबली
15/3 पुष्पा पुत्री रावताराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता ललिता पत्नी रावताराम जाति मेघवाल निवासी नीबली
16.हुक्माराम पुत्र लुम्बाराम
17.लेहरोदेवी पत्नी गेनाराम
18.हीराराम पुत्र गेनाराम
19.वालीदेवी पत्नी सुरताराम
20.हुक्माराम पुत्र सुरताराम
21.गणपतलाल पुत्र खेमाराम
22.गोरखाराम पुत्र जालुराम
23.चौखाराम पुत्र खेमाराम
24.दलाराम पुत्र खेमाराम
25.धारूराम पुत्र खेमाराम
26.पेपोदेवी पत्नी खेमाराम
जाति मेघवाल निवासी नींबली
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
27.टीमोदेवी पत्नी पपाराम जाति दर्जी
28.धूडीदेवी पत्नी ठाकराराम जाति दर्जी निवासी झालामलिया खारापार तह–गिड़ा
29.अकलो पत्नी खीमसिंह
30.कानसिंह पुत्र खिमसिंह
31.चंदनसिंह पुत्र खिमसिंह
32.रामसिंह पुत्र [illegible] जाति राजपूत
निवासी–झालामलिया खा[illegible]
तहसील गिड़ा जिला बालोतरा
33.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री प्रेमसिंह ,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 22·3·2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नींबली पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/278 क्षेत्रफल 50.5371 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नींबली पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/278 क्षेत्रफल 50.5371 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नींबली पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/278 क्षेत्रफल 50.5371 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओ को लेकर विवाद करता रहता है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम नींबली पटवार हल्का दूधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/278 क्षेत्रफल 50.5371 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम नींबली पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/278 क्षेत्रफल 50.5371 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड सहखातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसकें प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होतें है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.6.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है,जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद हों। ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नींबली पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 389/278 क्षेत्रफल 50.5371 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिवत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पक्षकार ... करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.05.21 19:12:02 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.3.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा